वाद संख्या 11/2021-22

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14. 23.11.22	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। उक्त वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल याचिका के आलोक में प्रारंभ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, सरिया से आवेदन के आलोक में जाँच प्रतिवेदन की माँग किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उक्त वाद की भूमि मौजा-कंचनपुर, थाना-सरिया, थाना नं0-67 के अंदर खाता नं0-09 की जमीन है, जिसमें प्लॉट नं0-226, 227, 228 समेत कुल 22 प्लॉट में कुल 7.58 एकड़ भूमि है जो खतियान रैयती खाते की खतियान है तथा उक्त खतियान में खतियानी रैयत का नाम, झमन महरा वल्द अरतो महरा कौम चमार दर्ज है वो अंचल कार्यालय सरिया के मौजा-कंचनपुर, हल्का नं0-VI के जमाबंदी पंजी-II के भाग संख्या-2, पंज संख्या-57 पर जमाबंदी दर्ज है, वो लगान रसीद निर्गत है जिसपर दर रैयत जो खतियानी रैयत के दामाद हैं, के दखल-कब्जा वाले भूमि का वाद संख्या-1717/2001-02 के स्वीकृत आदेशानुसार घटाने के उपरांत ऑफलाईन पंजी-II में रकवा-7.01 एकड़ बचा है वो दररैयत जो उक्त वाद के प्रथम पक्ष के पूर्वज है का अलग जमाबन्दी वाद संख्या-1717/2001-02 के आदेशानुसार खोला गया वो उसपर आवेदक के पूर्वज गोदर चमार का रकवा-57 डी0 का डिमाण्ड खोलते हुए अलग किया गया फलतः खतियानी रैयत के डिमाण्ड में शेष 7.01 एकड़ ही माल बचा परंतु ऑनलाईन में गलती से खतियानी रैयत झमन महरा के डिमाण्ड में 7.01 एकड़ के स्थान पर 7.58 एकड़ का डिमाण्ड खोल दिया गया। आगे आवेदक के द्वारा ऑनलाईन	

देश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	में खुले डिमाण्ड में सुधार करते हुए खतियानी रैयत के पंजी-II के भाग संख्या-02 पेज संख्या-57 में दर्ज डिमाण्ड को 7.58 एकड़ के स्थान पर सुधार करते हुए 7.01 एकड़ दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में खतियान की छाया प्रति, ऑनलाईन पंजी के भाग संख्या-02, पेज सं0-57 की छाया प्रति, ऑनलाईन पंजी के भाग संख्या-02 पेज संख्या-123 की छाया प्रति, राजस्व रसीद संख्या-037503 की छाया प्रति, खाता नं0-9/2, पंजी भोलुम-2, पेज नं0-123 के प्रपत्र-A की छाया प्रति, अंचल अधिकारी, बगोदर के नाम पर समर्पित अंचल कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के सत्यापति कॉपी की छायाप्रति समर्पित किये हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा उपस्थित होकर मौखिक रूप से कहा गया की उक्त वाद खारिज करने योग्य है वो प्रथम पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है वो वर्तमान वाद बगैर किसी आदेश के खारिज करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज तथा लिखित अभिकथन दाखिल नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी सरिया के द्वारा पत्रांक-157, दिनांक-11.03.2022 समर्पित कर बतलाया गया है कि मौजा-कंचनपुर, थाना नं0-67 के अंतर्गत खाता नं0-09, प्लॉट नं0-226, 227, 228 रकवा क्रमशः 27 डी0, 01 डी0 एवं 29 डी0 सर्वे अनुसार रैयती खाते की भूमि है जो झमन महरा वल्द अरतो महरा के नाम पर दर्ज है खतियान में कुल-22 प्लॉट में से प्लॉट नं0-226, 227, 228 कुल रकवा-57 डी0 कब्जाधरी गोदर चमार दमाद	

देश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	दर्ज है। ग्रामीणों से पूछताछ पर बताया गया कि गोदर चमार आवेदक प्रमेश्वर रविदास के पूर्वज है। मुल जमाबंदी पंजी-II के भोलुम नं0-01, पेज नं0-57 पर झमन महरा पिता अरतो महरा के नाम दर्ज है तथा लगान रसीद निर्गत है। कुल रकवा-7.58 एकड़ में रकवा-57 डी0 घटाकर शेष रकवा दर्ज किया गया है जिसका विवरण पृष्ठ संख्या-123 में दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद के आधार पर खाता नं0-9/2 के मध्ये प्लॉट संख्या-226,227,228 रकवा-57 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी-II के भोलुम नं0-02, पेज नं0-123 पर गोदर चमार पिता पोखी चमार दर्ज है वो लगान रसीद निर्गत है तथा परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में अंचलाधिकारी बगोदर के विविध आदेशानुसार रैयत का नाम दर्ज किया गया है। स्थल पर आवेदक प्रमेश्वर रविदास एवं इनके अन्य हिस्सेदारों का वर्षो पूर्व निर्मित मकान है वो कुछ भूमि परती है जिसपर आवेदक प्रमेश्वर रविदास के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संधारित दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी, सरिया के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के खतियानी रैयत झमन महरा के नाम पर खुले डिमाण्ड में से आवेदक के पूर्वज गोदर चमार का डिमाण्ड अंचल अधिकारी बगोदर के वाद संख्या-1717/2001-02 के स्वीकृत आदेशानुसार घटाया जा चुका है इसके बावजूद ऑनलाईन पंजी-II के भाग संख्या-02, पेज संख्या-57 में खतियानी रैयत झमन महरा पिता अरतो महरा का डिमाण्ड यथावत रख दिया गया जबकि मुल जमाबंदी पंजी-II में डिमाण्ड घटाकर 07 एकड़ 01 डी0 दर्ज है। उक्त विवेचन के आलोक में, मैं इस निष्कर्ष	

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	पर पहुँचता हुँ कि अंचलाधिकारी सरिया "The Bihar Tenants Holdings Maintenance of Records Act 1973" की धारा 18 के प्रावधानानुसार खतियानी रैयत झमन महरा के ऑनलाईन जमाबंदी पंजी-II के भाग संख्या-02, पेज संख्या-57 में सुधार करते हुए मुल जमाबंदी पंजी में दर्ज डिमाण्ड अनुसार डिमाण्ड दर्ज करते हुए लगान रसीद निर्गत करें। सभी पक्षों को इस आदेश से अवगत करायें। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं सत्यापित 22.11.22 भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता बगोदर-सरिया। 23.11.22 भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता बगोदर-सरिया।	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.06 12:34:53 +05:30
Location: 192.168.1.8